न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
. प्रकरण संख्या : 30/2020
उनवान : सरकार जरिये सरोज मीणा, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. मैसर्स ओम सांई गैस रिपेयरिंग सेन्टर जगतपुरा सब्जी मण्डी, मनोहरपुरा जयपुर।
2. श्री दिलराज मीणा उर्फ कालू पुत्र श्री कमलेश मीणा निवासी रामगढ मुडारा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर हाल निवासी 7 नम्बर चौराहा, जगतपुरा जयपुर।

निर्णय दिनांक : 08.03.2023
अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) अधिवक्ता श्री जितेश आसेजा अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर प्रथम सरोज मीणा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु ानियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 20.04.2018 को घरेलू सिलेण्डरों के दुरुपयोग की जांच मैसर्स ओम सांई गैस रिपेयरिंग सेन्टर पर पहुंचे। मौके पर कार्यकर्ता दिलराज मीणा उपस्थित मिला। ने जांच 14 घरेलू गैस सिलेण्डर (5एचपीसी+7आईओसी+2बीपीसी) मय 56.100 किग्रा. एलपीजी, 29 छोटे ेण्डर, 5 गैस ट्रांसफर यंत्र बांसुरी (4 पीतल व 1 लोहे की) को जब्त किया गया। जिनके संबंध में कोई षप्रद जवाब नहीं दिया ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, र्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा (2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को स सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जितेश आसेजा ने दिनांक 08.12.2022 उपस्थिति दी। अप्रार्थीगण की ओर से फर्म मालिक मुकेश सिंह उपस्थित हुये। मुकेश सिंह ने जरिये वक्ता दिनांक 02.03.2023 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में अप्रार्थीगण आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं। यदि जब्त सामग्री को राजसात किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति है। साथ ही उक्त जवाब को ही बहस मानने का निवेदन किया। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय ा पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली क 08.03.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष हुंचते हैं कि दिनांक 20.04.2018 को जब्त घरेलू सिलेण्डर व अन्य सामान की सहायता से अप्रार्थीगण गैस रिफिलिंग की जा रही थी। मौके पर घरेलू सिलेण्डर, छोटे सिलेण्डर व गैस अन्तरण यंत्र(बांसुरी) जाने से अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से छोटे गैस सिलेण्डरों में अवैध रुप से गैस रिफिलिंग जाने की पुष्टि होती है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर व अन्य जब्त सामान से संबंधित दस्तावेज पर व आज तक उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा द्रवीकृत यम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया सी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा फर्द अनुसार जब्त सामान 14 घरेलू गैस सिलेण्डर पीसी+7आईओसी+2बीपीसी) मय 56.100 किग्रा. एलपीजी, 29 छोटे सिलेण्डर, 5 गैस ट्रांसफर यंत्र बांसुरी तल व 1 लोहे की) को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। ली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।